संख्या —— / V-2—2017—79(आ0) / 2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग—2

देहरादून, दिनांक 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

विषय : **Appellate Tribunal** के सदस्यों की नियुक्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भू—संपदा (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 की धारा 46 के अंतर्गत **Appellate Tribunal** के गठित किए जाने का प्राविधान है। उक्त **Appellate Tribunal** में अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है। सदस्यों की नियुक्ति हेतु धारा—46 (03) के अन्तर्गत चयन समिति उल्लिखित है। उक्त चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायाधीश, प्रमुख सचिव न्याय एवं सचिव आवास सदस्य है। रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.7.2017 द्वारा मा0 न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी, को उक्त चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाने से अवगत कराया गया है।

2— उत्तराखण्ड भू—संपदा (विकास एवं विनियमन) (सामान्य) नियमावली, 2017 के नियम (02) के अंतगर्त चयन समिति को सदस्यों के नाम का पैनल उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्च कमेटी गठित किए जाने का प्राविधान है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त चयन समिति हेतु नामों का पैनल उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् सर्च कमेटी गठित किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं: —

1— अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष
2— अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
3— अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य सचिव

उक्त सर्च मेटी को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित रेरा सैल द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। सर्च कमेटी द्वारा उक्त सदस्यों के चयन हेतु नामों का पैनल उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या—701 / V-2/79(आ0)16 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
2— अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
3— अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
4— रेरा सैल, कार्यालय उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।
5— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

238
09-03-18